

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)

केस संख्या :- /20

<p>23/7/24</p>	<p>पत्रावली/RO. साहू/...          दिनांक 31/7/24 को पेश हो</p>
<p>31/7/24</p>	<p>पत्रावली/RO. साहू/...          दिनांक 31/7/24 को पेश हो</p>
<p>31/7/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.          दिनांक 31/7/24 को पेश हो</p>
<p>23/7/24</p>	<p>पत्रावली आज वकील वादी उरा बिड़ी          डा. पट्ट पेश करने पर तलब मी          गरी वादी स्वयं उप. वकील वादी          ने बिड़ी डा. पट्ट पेश कर निवेदन          किया कि पत्रावली के मध्य          आपसी छहमति ले राजीनामा हो          गया है व वादी अब दावे को अणे          नहीं चलाना चाहता है। अतः बिड़ी          डा. पट्ट खीनार होने ले दावा बिड़ी          (स्पारिज) बिजा जात है। पुनः दावापेश          करने पर 10000/- रुपए मी कोस्ट          अदा करनी होगी। पत्रावली के लेख          शुमार होकर दर्ज नम्बर ले कर हो</p>

उपखण्ड अधिकारी  
 चाकसू (जा-3)